आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या-~~सी0~~आर0एम0-71/2013-14

जीतमन साह

बनाम

बिहार सरकार

आदेश

आवेदक जीतमन साह वल्द स्व0 सुर्यबली साह सा0-एकडेरवा थाना-बगहा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी थी जिसका सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-16461/12 है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2013 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है :-

In view of the limited prayer made on behalf of the petitioners at the time of hearing this writ application is being disposed of with liberty to the petitioner to approach the District Magistrate, West Champaran at Bettiah (respondent no. 5) by filling a detailed representation raising their grievance including the revision of salary as well as pension, if any, in view 6th pay Revision. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आवेदक द्वारा अभ्यावेदन दिया गया है। आवेदक का दावा निम्नांकित है :-

1. दिनांक 19.12.1988 से नियुक्ति स्वीकार किया जाए तथा प्रारम्भीक 08 (आठ) माह का वेतन भुगतान किया जाए।

2. नियुक्ति की तिथि से लेकर सेवा निवृति तक कोई वेतन वृद्धि नही दी गयी है। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वेतन वृद्धि दी जाए।

3. सम्पूर्ण सेवा काल में न तो कलावधि प्रोन्नति दिया गया है न कि

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

ए0सी0पी0 का लाभ दिया गया है, जिसे देने हेतु अनुरोध किया गया है।

4. छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान एवं उसके बकाये का भुगतान किया जाए।

5. इन्द्रजीत प्रसाद आवेदक सं0-02 को द्वितीय ए0सी0पी0 एवं छठे वेतन आयोग के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाए।

आवेदक के उपयुक्त दावा के संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से प्रतिवेदन मांगा गया। उन्होंने अपने पत्रांक 235, दिनांक 25.04.2014 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन एवं अन्य उपलब्ध कागजातों के आलोक में निम्नांकित कंडिकावार प्रतिवेदन भेजा है :-

1. आवेदक के प्रथम दावा के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है कि सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-8343/88 के अंतर्गत दिनांक 19.12.1988 को पारित आदेश के अनुपालन में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेश ज्ञापांक 01/कैम्प,/पटना दिनांक 31.07.1989 द्वारा श्री जीतमन साह की नियुक्ति पंचायत सेवक के पद पर की गयी है। इनके द्वारा दिनांक 01.08.1989 को इस पद पर योगदान किया गया तथा योगदान की तिथि से इन्हें पंचायत सेवक के पद का अद्यतन वेतन भुगतान किया गया है।

2. आवेदक के दूसरे दावा के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है कि श्री जीतमन साह, पंचायत सचिव के द्वारा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उतीर्ण नहीं रहने के कारण मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय पटना के पत्रांक 503, दिनांक 05.12.1968 की कंडिका-7(सात) के अनुसार वेतन वृद्धि देय नहीं है।

3. आवेदक के तीसरे दावा के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है कि जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 26.12.2012 में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री जीतमन साह, पंचायत सचिव द्वारा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उतीर्ण नहीं रहने के कारण ए0सी0पी0 का लाभ देय

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

नहीं है।

4. आवेदक के चौथे दावा के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है कि छट्ठे वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में श्री साह को पुनरीक्षित वेतनमान एवं उसके बकाये का भुगतान कर दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा अपने पत्रांक 374, दिनांक 17.07.2014 द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-16461/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2013 के संबंध में निम्न प्रतिवेदन दिया गया है :-

1. सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-14/90 दिनांक 18.04.1990 द्वारा पारित आदेश के आलोक में 30 जुलाई 1989 तक श्री जीतमन साह दलपति के पद पर एवं 31 जुलाई-1989 से पंचायत सेवक के पद पर होने का आदेश है। श्री साह दिनांक 01.08.1989 को पंचायत सेवक के पद पर योगदान किये हैं, जिसके कारण श्री साह को 01.08.1989 के पूर्व दलपति का एवं 01.08.1989 से पंचायत सेवक के वेतनादि का भुगतान किया गया है। अर्थात श्री साह 19.12.1988 से 31.07.1989 तक दलपति रहे है। जिसके कारण इन्हें पंचायत सेवक का वेतनादि का भुगतान 08 माह का नहीं किया जा सकता हैं
2. जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेश ज्ञापांक 100, दिनांक 25.02.2013 के आलोक में वेतन वृद्धि देय नही है।
3. जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के ज्ञापांक 100/पं0, दिनांक 25.02.2013 के आलोक में ए0सी0पी0 देय नहीं है।
4. छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में श्री साह को पुनरीक्षित वेतनमान एवं उसके बकाया का भुगतान कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता नं0-02 श्री इन्द्रजीत प्रसाद के संबंध में निम्न प्रतिवेदन प्राप्त है :-

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

1. जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेश ज्ञापांक 100/पं0, दिनांक 25.02.2013 के आलोक में द्वितीय ए0सी0पी0 देय नहीं है। श्री प्रसाद को छठे वेतन पुनरीक्षित वेतनमान एवं बकाया का भुगतान किया जा चुका है।

जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के ज्ञापांक 100/पं0, दिनांक 25.02.2013 में निम्न तथ्य अंकित है :-

1. जीतमन साह पंचायत सचिव, नरकटियागंज प्रखंड की सेवापुस्त के अवलोकन उपरांत पाया गया कि ये हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण की परीक्षा उतीर्ण नहीं हैं। विभागीय निदेशानुसार यदि कोई कर्मी 50 वर्ष की आयु के अन्दर हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उतीर्ण नहीं होते हैं तो लगातार तीन परीक्षा में सम्मिलित हैं का प्रवेश पत्र संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करने पर उसे वित विभाग से हिन्दी उतीर्ण की मंजूरी के लिए भेजा जाता है, परंतु श्री साह के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार इनके द्वारा हिन्दी उतीर्ण रहने की पात्रता धारित नहीं करने के कारण इन्हें सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ देय नहीं है।
2. इन्द्रजीत प्रसाद पंचायत सचिव, नरकटियागंज प्रखंड की सेवा पुस्त की जांच में पाया गया कि इन्हें दिनांक 09.08.1999 को प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ प्राप्त हो चुका है। तत्पश्चात श्री प्रसाद को द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ विभागीय निदेशानुसार 09.08.2009 को देय होता है किन्तु श्री प्रसाद द्वितीय ए0सी0पी0 की देय तिथि 09.08.2009 के पूर्व 31.05.2009 को ही सेवा निवृत हो गये हैं। अतः नियमानुसार इन्हें द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ देय नहीं है।

आवेदक ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पश्चिम

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

चम्पारण, बेतिया द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के विरूद्ध कोई विरोध पत्र दाखिल नहीं किया गया है साथ ही वे दिनांक 12.03.2014 से 31.07.2014 तक कुल-06 (छः) तिथियों तक लगातार अनुपस्थित रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में आवेदक के अभ्यावेदन पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बेतिया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उनके दावे पर पूर्व में विधि संगत तरीके से विचार किया गया है।

जहां तक 19.12.1988 से नियुक्ति स्वीकार किये जाने का प्रश्न है, इनकी नियुक्ति 31.07.1989 को हुई है तथा इन्होने 01.08.1989 को पंचायत सेवक के रूप में योगदान दिया है। अतः 01.08.1989 के पूर्व पंचायत सेवक के पद पर भुगतान का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक इनके सुनिश्चित वृति योजना में लाभ का प्रश्न है, हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा उतीर्ण नहीं होने के कारण यह देय नहीं है। जहां तक छठे वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में श्री साह को पुनरीक्षित वेतनमान एवं उसके बकाये का प्रश्न है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा प्रतिवेदित है कि इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान एवं उसके बकाये का भुगतान कर दिया गया है। जहां तक सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-16461/2012 के दूसरे याचिकाकर्ता का प्रश्न है, उन्हें 09.08.1999 को प्रथम ए0सी0पी0 प्राप्त हो चुका है तथा द्वितीय ए0सी0पी0 की देय तिथि दिनांक 09.08.2009 के पूर्व सेवा निवृति होने के कारण इन्हें द्वितीय ए0सी0पी0 नहीं दिया गया है। परंतु विभागीय पत्रांक 5152(2) दिनांक 21.05.2013 से संशोधित आदेश के अनुसार इन्हें रूपांतरित ए0सी0पी0 देने के बिन्दु पर दिनांक 23.12.2014 को आयोजित बैठक में समिति द्वारा विचार कर सभी अर्हताओं को पूरी करने पर निर्णय लिया जाएगा। जहां तक जीतमन साह सेवा निवृत पंचायत सेवक के वेतन वृद्धि का प्रश्न है इन्हें मंत्रिमण्डल

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

(राजभाषा) सचिवालय, पटना के पत्रांक 503, दिनांक 05.12.2008 की कंडिका-7 के अनुसार इन्हें वेतन वृद्धि देय नहीं है। उक्त कंडिका-7 में अंकित है कि जिस सरकारी सेवक की देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ने की परीक्षा या देवनागरी लिपि में हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण की परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाओं में उतीर्ण होना है, उन्हें न तो वेतन वृद्धि दी जाएगी न सम्पुष्ट किया जाएगा जब तक वे अपेक्षित हिन्दी परीक्षा की परीक्षाओं में उतीर्ण न हो जाए। इस प्रकार आवेदक जीतमन साह के साथ सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-16461/2012 में दोनों आवेदक के अभ्यावेदन को निष्पादित किया जाता है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

आवेदक को यदि इस आदेश के विरूद्ध अभी कोई प्रतिक्रिया देनी है तो वे आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दायर कर सकते हैं, और उनके द्वारा कोई अलग तथ्य प्रस्तुत किया जाता है तो उनके मामले पर पुनः विचार किया जा सकेगा।

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
16/12/14

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
16/12/14